दिनांक 23.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

दो दिन के अंदर BLC आबादी भूमि का सर्वे ''मोर जमीन मोर मकान'' के लिए करके लावें–आयुक्त

भिलाईनगर/शासन की महत्वकांक्षी योजना ''मोर जमीन मोर मकान'' योजना के तहत् छुटे हुए बी0एल0सी0 आबादी भूमि के हितग्राहियों का सर्वे दो दिन के अंदर करना होगा ऐसा कहना था आयुक्त के0एल0 चौहान का बैठक के दौरान। शहर में निवासरत् हितग्राही जिनके पास जमीन है पर मकान नहीं है उसे मकान हेतु सहायता प्रदान किया जाना है। भिलाई नगर निगम के जिन जोनों में आबादी भूमि है वहॉ सर्वे के लिए आयुक्त द्वारा विशेष दल बनाया गया है जिसमें शासकीय पटवारी, बिल्डिंग परमीशन शाखा, राजस्व शाखा, जोन के सब इंजीनियर, सर्वेयर, सुपरवाईजर, आदि का 6 दल बनाया गया है जो प्रधानमंत्री आवास योजनांन्तर्गत छुटे हुए हितग्राहियों का पुनः सर्वे करेंगे। मुख्य रुप से प्रारुप लेकर घर–घर जायेंगे जिसमें पट्टाधारी मुखिया हितग्राही का नाम, पिता/पति का नाम, हितग्राही का आधार नम्बर, बैंक पासबुक का विवरण, मोबाईल नम्बर, मकान का पता एवं क्रमांक, खसरा नम्बर एवं बटांकन, मकान का प्रकार कच्चा–पक्का, वर्तमान में निवासरत् मुखिया एवं परिवार का विवरण, पट्टा आबंटन वर्ष, नहर, नाला, तालाब, से प्रभावित हैं या नही, काबिज भूमि का क्षेत्रफल, मुल पट्टाधारी काबिज है या बेच दिया है, निर्मित मकान का क्षेत्रफल, इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी हितग्राही से ली जावेगी।

1. परिवार के मुखिया को सभी विवाहित का आधार, बैंक पासबुक, बिजली बिल, एवं मतदाता परिचय पत्र, देना होगा।
2. निवासी का प्रकार– स्वयं किरायेदार, यदि विवाहित परिवार माता/पिता के साथ रह रहा है तो उसे पिता के साथ लिखना है।
3. आबादी भूमि पर निवासरत् वह परिवार जिसे उपरोक्त किसी भी वर्ष में पट्टा नहीं मिला है वह भी सर्वे में सम्मिलित होगा।
4. स्थल का नजरी नक्शा भी बनाया जायेगा।

प्रत्येक हितग्राही को लिखित शपथ पत्र देना होगा उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास स्थायी रुप से देश के किसी भी हिस्से में मकान नहीं है महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि शासन के इस योजना का लाभ उठाकर सर्वे टीम को सहयोग प्रदान करें ''मोर जमीन मोर मकान'' योजना तभी सफल होगा जब सबके पास मकान होगा।

जन सम्पर्क अधिकारी